

15. परिवार (पति एवं पत्नी की सम्मिलित आय) की कुल वार्षिक आय (राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण—पत्र संलग्न करें।) रु०

पिता की कुल आय	कृषि से	नौकरी से	अन्य स्रोतों से	योग.....
माता की कुल आय	कृषि से	नौकरी से	अन्य स्रोतों से	योग.....
योग				

16. पिता / अभिभावक के परिवार की कुल भूमि का ब्यौरा :

जोत बही के अनुसार खतौनी खाता सं० एवं कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

पिता / अभिभावक का कुल भूमि में अंश :

17. आवेदक के अभिभावक द्वारा घोषणा :

(अ) मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) द्वारा विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु प्रथम बार आवेदन किया जा रहा है। मैं यह भी घोषित करता / करती हूँ कि मेरे पाल्य द्वारा इससे पूर्व अपने संबंधी अथवा अभिभावक के अन्य किसी पते से विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

(ब) मेरे द्वारा अपूर्ण, असत्य या गलत सूचना देने (आय, स्थायी निवास, न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण सूचना) पर विद्याज्ञान स्कूल को मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) द्वारा प्रवेश हेतु विद्याज्ञान आवेदन पत्र अथवा इस प्रकार विद्याज्ञान स्कूल में प्राप्त प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(स) मेरे परिवार (स्वयं मैं और मेरी पत्नी / पति) की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(द) मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) का नाम एवं जन्म तिथि उपरोक्त वर्णित है और सही है। मैं उसके संशोधित करने हेतु अनुरोध नहीं करूँगा / करूँगी।

(य) कि विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक परीक्षा संबंधी उपरोक्त आवेदक के परिवार के संबंध में प्रेषित समस्त सूचनायें सही हैं और मेरे द्वारा मेरे पाल्य के विषय में किसी प्रकार के तथ्यों अथवा बीमारी से सम्बन्धित सूचना तथा अन्य किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

(र) यदि कोई सूचना अपूर्ण, असत्य अथवा गलत पायी जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

(ल) यदि आवेदन पत्र में वर्णित मेरी तथा मेरे पाल्य के आवेदन पत्र में वर्णित व्यक्तिगत विवरण—जन्म तिथि, दूरभाष, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड सम्बन्धी सूचनाओं को किसी भी रूप में, जिसमें डिजिटाइजेशन भी सम्मिलित है, संग्रहित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आवेदन—पत्र के साथ मेरे परिवार से संबंधित निम्नलिखित प्रमाण—पत्र (कृपया करें) की छायाप्रति तथा उस पर आवेदन—पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न कर रहा हूँ—

क. राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण—पत्र।

ख. राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवास संबंधित प्रमाण—पत्र।

ग. शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु संबंधी प्रमाण—पत्र।

घ. आवेदक विद्यार्थी का फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड।

यह कि मैंने विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश परीक्षा संबंधी समस्त संलग्न सूचनाओं एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ लिया है और स्वयं स्वेच्छा से आवेदन कर रहा हूँ। मुझको विद्याज्ञान में प्रवेश संबंधी समस्त नियम स्वीकार हैं। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसकी छाया प्रति परीक्षा केन्द्र हेतु सुरक्षित रख ली है। मुझको यह विदित है कि यदि मेरे पाल्य का लिखित परीक्षाओं के उपरान्त भौतिक सत्यापन अथवा पारस्परिक संवाद एवं चिकित्सा परीक्षण के आधार पर विद्याज्ञान में प्रवेश नहीं हो पाता है तो मुझको स्वीकार है।

पिता / अभिभावक का नाम..... पुत्र..... परीक्षार्थी आवेदक से संम्बंध.....

निवासी ग्राम..... पोस्ट..... तहसील..... जनपद.....

अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर

18. विद्यालय / विद्यालयों का विवरण जहाँ से कक्षा 3, 4 की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा कक्षा 5 में अध्ययनरत है :-

कक्षा	विद्यालय का नाम एवं पता	राजकीय अथवा निजी	विद्यालय का 10 इकाई का यू-डाइस नम्बर	*यदि मान्यता प्राप्त है तो पंजीकरण संख्या	विद्यालय में प्रथम प्रवेश का दिनांक	एस० आर०	
						क्रमांक	पृष्ठ संख्या
कक्षा—3							
कक्षा—4							
कक्षा—5							

अध्ययनरत विद्यार्थी के विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा आवेदक का फोटो पर मुद्रित दिनांक प्रतिहस्तारित कर अग्रसारित।

नोट: 1. प्रधान अध्यापक द्वारा संलग्न मार्गदर्शिका के अध्ययन कर तथा उसमें

वर्णित मानकों के अनुसार अग्रसारित करने का कष्ट करें।

2. निजी विद्यालय की मान्यता पंजीकरण संख्या वर्णन करना आवश्यक है।

3. आवेदन पत्र को विद्यालय पंजिका में क्रमांक पर दर्ज किया गया।

*(यदि निजी विद्यालय है तो मान्यता / पंजीकरण विवरण लिखना आवश्यक है)

प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर एवं मोहर

- नोट : 1. विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023–24 हेतु प्रवेश—पत्र के अनुसार निर्धारित केन्द्र पर निर्धारित समय पर बालिकाओं हेतु प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तथा बालकों हेतु दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। दोनों पालियों हेतु प्रथक—2 प्रश्न पत्र निर्धारित किये जाते हैं।
2. उ.प्र. में कक्षा 3, 4 तथा 5 के पाठ्यक्रम — भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी), गणित, अभिरुचि (Aptitude) तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है।
3. उपरोक्त भरे हुए आवेदन—पत्र की छायाप्रति प्राथमिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु सुरक्षित रख ली है और परीक्षा कक्ष में पहचान हेतु आवेदन—पत्र की छायाप्रति, प्रवेश—पत्र तथा फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की प्रति साथ लेकर जाना है तथा परीक्षा केन्द्र प्रांगण में कोरोना के नियमों (मास्क पहनना, दो गज की दूरी आदि) का पालन करना है।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका का मॉडल / नमूना तथा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ कर कार्यवाही की जा रही है।

हस्ताक्षर अभिभावक



॥ विद्या परम् एश्वर्यम् ॥

विद्याज्ञान स्कूल - अकादमिक वर्ष 2023-24 प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा

कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र (**बालक**)

(परीक्षा केन्द्र तथा कक्ष में मास्क पहनना अनिवार्य हैं।)

अनुक्रमांक : WB51877

* यदि छाया प्रति हो तो चया क्रमांक

X				
---	--	--	--	--

1. परीक्षार्थी : ----- जन्म तिथि -----

का नाम

2. पिता / अभिभावक ----- पुत्र -----

का नाम :

3. निवास का पता: ग्राम का नाम -----

पोस्ट ऑफिस ----- विकास खण्ड -----

तहसील ----- जिला ----- पिन कोड -----

मोबाइल नम्बर ----- परीक्षार्थी आधार कार्ड नं० -----

4. अध्यनरत विद्यालय -----

का नाम व पता :

5. परीक्षा में प्रयुक्त उत्तर पत्रक (OMR Sheet) का क्रमांक : -----
(इसे परीक्षार्थी द्वारा स्वयं परीक्षा कक्ष में भरना अनिवार्य है और इसकी सहायता से ही इंटरनेट पर प्राथमिक परीक्षा का परिणाम ज्ञात होता है।)

6. परीक्षा केन्द्र में पहचान हेतु भरे हुए एवं जमा आवेदन पत्र की छायाप्रति, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छाया प्रति साथ में लेकर आना है।

प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा का समय : 14:30 बजे से 16:30 बजे तक

प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा की तिथि : परीक्षा केन्द्र
18 दिसम्बर 2022 का नाम एवं पता:

आवेदक का नवीनतम (अधिकतम 3 माह पुराना)

फोटो जिस पर तिथि

मुद्रित हो यहाँ

चिपकायें

3.5 सेमी X 4.5 सेमी

(अभिभावक फोटो पर हस्ताक्षर करें)

(परीक्षार्थी के हस्ताक्षर)

अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मोहर

हस्ताक्षर एवं मोहर
खण्ड शिक्षा अधिकारी

* विकास खण्ड संशाधन केन्द्र द्वारा प्रदान किया जायेगा

महत्वपूर्ण निर्देश

- विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को केवल एक ही अवसर प्राप्त होता है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपनी पहचान हेतु अपने साथ अपना मूल प्रवेश पत्र, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा आवेदन पत्र की छाया प्रति, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छाया प्रति तथा किलप बोर्ड/दफ्टी/टख्की/पट्टी और नीले/काले बॉल पॉइंट पेन साथ में लेकर आना है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा सम्बंधी निर्देशों हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रश्नावली-उत्तर पत्रक के 'मॉडल' का अध्ययन अवश्य करें।
- परीक्षार्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित दिन पर निर्धारित समय से 1 घंटे पहले पहुँचना आवश्यक है। कोरोना से सुरक्षा सम्बन्धी सतर्कता तथा मास्क पहनना आवश्यक है।
- परीक्षार्थी द्वारा इस प्रवेश पत्र के पीछे बिन्दु सं 5 में उत्तर पत्रक (**OMR Sheet**) का क्रमांक परीक्षा कक्ष में स्वयं भरना आवश्यक है। परीक्षार्थी द्वारा प्रयुक्त उत्तर पत्रक (**OMR Sheet**) के नम्बर की सहायता से ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम विद्याज्ञान वेबसाइट* से ज्ञात होता है।
- उत्तर प्रदेश में कक्षा 3, 4, तथा 5 के पाठ्यक्रम - भाषा (हिन्दी), गणित, अभिरुचि (Aptitude) के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान उत्तर देने हेतु उत्तर पत्रक (**OMR Sheet**) दिया जायेगा जिसका मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा। अतः उत्तर पत्रक (ओ०ए०आ०० शीट) को भरते समय निम्न सावधानियों को ध्यान में रखें -
 - (A) परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक, नाम तथा पिता/अधिभावक का नाम उत्तर पत्रक के निर्धारित बॉक्सों में केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**CAPITAL**) में सावधानीपूर्वक अंकित करें। परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि उत्तर पत्रक को मोड़ा न जाये और उस पर कोई अन्य निशान भी न लगायें तथा किसी प्रकार का कच्चा कार्य न करें। कच्चा कार्य प्रश्न पत्र के अंतिम पृष्ठ पर किया जा सकता है। दूसरा नया उत्तर पत्रक नहीं दिया जायेगा।
 - (B) वृत्तों को काला करने के लिए नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें।
 - (C) प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में चार विकल्प (A), (B), (C) तथा (D) दिये गये हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है। उत्तर पत्रक (ओ०ए०आ०० शीट) में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने दिये गये चार वृत्तों में से केवल उस वृत को पूर्णतः काला करें जो आपके अनुसार उस प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प है।
 - (D) केवल एक ही वृत को काला करें। एक से अधिक वृतों को काला करने पर कोई अंक नहीं दिया जायेगा। वृत को काला करने की गलत तथा सही विधियाँ नीचे दर्शाई गई हैं।

गलत विधि	गलत विधि	गलत विधि	गलत विधि	सही विधि
<input checked="" type="checkbox"/> (B) (C) (D)	<input checked="" type="checkbox"/> (A) (●) (C) (●)	<input checked="" type="checkbox"/> (A) (X) (C) (D)	<input checked="" type="checkbox"/> (A) (●) (C) (●)	<input checked="" type="checkbox"/> (A) (●) (C) (D)

- यदि अभ्यार्थी प्राथमिक तथा मुख्य परीक्षा में सफल होता है तो विद्याज्ञान में प्रवेश हेतु भौतिक सत्यापन, पारस्परिक संवाद तथा चिकित्सा परीक्षा में उर्जाण होना आवश्यक है।
- भरे गये आवेदन पत्र की छाया प्रति तथा इस प्रवेश पत्र को विद्याज्ञान प्राथमिक परीक्षा का परिणाम आने तक अपने पास सुक्षित रखें और यदि मुख्य परीक्षा हेतु चयन होता है तो परिणाम के अनुसार परीक्षा का विवरण विद्याज्ञान की वेबसाइट तथा मुख्य परीक्षा की सूचना प्रथक डाक पत्र द्वारा भेजी जाती है। अतः अपने डाकघर / पोस्टमैन से संपर्क कर पत्र को ज्ञात करते रहें। यह अभिलेख प्रवेश पत्र की भाँति ही मान्य होता है।

विद्याज्ञान,
ए-३, सेक्टर-०९, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर - २०१३०१ उत्तर प्रदेश
* विद्याज्ञान वेबसाइट: www.vidyagyan.in/admissions
** हेल्प लाईन नम्बर: 1800-102-1784 (टोल फ्री) / 91-5862350101 / 9634098003

Yours,
एस० के० माहेश्वरी
परियोजना निदेशक एवं मुख्य प्रवेश अधिकारी
विद्याज्ञान स्कूल

विद्याज्ञान स्कूल - प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा अकादमिक वर्ष-2023-24

अभ्यास हेतु उत्तर पत्रक (OMR) का नमूना

(बिना मास्क के प्रवेश नहीं)

नोट :- यह 'उत्तर पत्रक' तथा 'प्रश्नावली' का मॉडल मात्र है और आवेदक की सुविधा हेतु ही है तथा परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली 'उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्नावली' से भिन्न भी हो सकता है। अतः विद्याज्ञान इस 'उत्तर पत्रक' तथा 'प्रश्नावली' मॉडल की कोई गारंटी नहीं देता है।

अनुक्रमांक
Roll No.

छाया प्रति क्रमांक अथवा
वेब साइट क्रमांक
(यदि हो)

सेट
Set

परीक्षार्थी का नाम
Examinee's Name

पिता का नाम
Father's Name

पुत्र

निवासी
ग्राम

पोस्ट

विकास
खण्ड

तहसील

जनपद

पिन
कोड

अध्ययनरत
विद्यालय
का नाम

मान्यता पंजीकरण के विवरण सहित

सम्बंधित गोले को भरें
<input type="radio"/> सरकारी विद्यालय
<input type="radio"/> निजि विद्यालय

मोबाइल नं.

आवेदक आधार
कार्ड संख्या

उत्तर पत्रक संख्या

बार कोड

मैंने इस उत्तर पत्रक (OMR Sheet) का
क्रमांक अपने प्रवेश पत्र के क्रमांक 5
पर उपलब्ध स्थान पर लिख लिया है।

परीक्षा दिनांक
परीक्षार्थी के
हस्ताक्षर
Sig. of Exam.

कक्ष निरीक्षक के
हस्ताक्षर
Signature of
Invigilator

जन्म तिथि

08	11	2012
<input checked="" type="radio"/> ①	<input type="radio"/> ①	2010
<input type="radio"/> ①	<input checked="" type="radio"/> ②	2011
<input type="radio"/> ②	<input checked="" type="radio"/> ②	2012
<input type="radio"/> ③	<input checked="" type="radio"/> ③	2013
<input type="radio"/> ④	<input checked="" type="radio"/> ④	2014
<input type="radio"/> ⑤	<input checked="" type="radio"/> ⑤	
<input type="radio"/> ⑥	<input checked="" type="radio"/> ⑥	
<input type="radio"/> ⑦	<input checked="" type="radio"/> ⑦	
<input checked="" type="radio"/> ⑧	<input checked="" type="radio"/> ⑧	
<input type="radio"/> ⑨	<input checked="" type="radio"/> ⑨	

परीक्षा केन्द्र की मोहर
(मोहर बाक्स के अन्दर ही लगाए)

उत्तर (Answer)

प्रश्न सं.	उत्तर			
01	(A)	(B)	(C)	(D)
02	(A)	(B)	(C)	(D)
03	(A)	(B)	(C)	(D)
04	(A)	(B)	(C)	(D)
05	(A)	(B)	(C)	(D)
06	(A)	(B)	(C)	(D)
07	(A)	(B)	(C)	(D)
08	(A)	(B)	(C)	(D)
09	(A)	(B)	(C)	(D)
10	(A)	(B)	(C)	(D)
11	(A)	(B)	(C)	(D)
12	(A)	(B)	(C)	(D)
13	(A)	(B)	(C)	(D)
14	(A)	(B)	(C)	(D)
15	(A)	(B)	(C)	(D)
16	(A)	(B)	(C)	(D)
17	(A)	(B)	(C)	(D)
18	(A)	(B)	(C)	(D)
19	(A)	(B)	(C)	(D)
20	(A)	(B)	(C)	(D)
21	(A)	(B)	(C)	(D)
22	(A)	(B)	(C)	(D)
23	(A)	(B)	(C)	(D)
24	(A)	(B)	(C)	(D)
25	(A)	(B)	(C)	(D)

प्रश्न सं.	उत्तर			
26	(A)	(B)	(C)	(D)
27	(A)	(B)	(C)	(D)
28	(A)	(B)	(C)	(D)
29	(A)	(B)	(C)	(D)
30	(A)	(B)	(C)	(D)
31	(A)	(B)	(C)	(D)
32	(A)	(B)	(C)	(D)
33	(A)	(B)	(C)	(D)
34	(A)	(B)	(C)	(D)
35	(A)	(B)	(C)	(D)
36	(A)	(B)	(C)	(D)
37	(A)	(B)	(C)	(D)
38	(A)	(B)	(C)	(D)
39	(A)	(B)	(C)	(D)
40	(A)	(B)	(C)	(D)
41	(A)	(B)	(C)	(D)
42	(A)	(B)	(C)	(D)
43	(A)	(B)	(C)	(D)
44	(A)	(B)	(C)	(D)
45	(A)	(B)	(C)	(D)
46	(A)	(B)	(C)	(D)
47	(A)	(B)	(C)	(D)
48	(A)	(B)	(C)	(D)
49	(A)	(B)	(C)	(D)
50	(A)	(B)	(C)	(D)

प्रश्न सं.	उत्तर			
51	(A)	(B)	(C)	(D)
52	(A)	(B)	(C)	(D)
53	(A)	(B)	(C)	(D)
54	(A)	(B)	(C)	(D)
55	(A)	(B)	(C)	(D)
56	(A)	(B)	(C)	(D)
57	(A)	(B)	(C)	(D)
58	(A)	(B)	(C)	(D)
59	(A)	(B)	(C)	(D)
60	(A)	(B)	(C)	(D)
61	(A)	(B)	(C)	(D)
62	(A)	(B)	(C)	(D)
63	(A)	(B)	(C)	(D)
64	(A)	(B)	(C)	(D)
65	(A)	(B)	(C)	(D)
66	(A)	(B)	(C)	(D)
67	(A)	(B)	(C)	(D)
68	(A)	(B)	(C)	(D)
69	(A)	(B)	(C)	(D)
70	(A)	(B)	(C)	(D)
71	(A)	(B)	(C)	(D)
72	(A)	(B)	(C)	(D)
73	(A)	(B)	(C)	(D)
74	(A)	(B)	(C)	(D)
75	(A)	(B)	(C)	(D)

प्रश्न सं.	उत्तर			
76	(A)	(B)	(C)	(D)
77	(A)	(B)	(C)	(D)
78	(A)	(B)	(C)	(D)
79	(A)	(B)	(C)	(D)
80	(A)	(B)	(C)	(D)
81	(A)	(B)	(C)	(D)
82	(A)	(B)	(C)	(D)
83	(A)	(B)	(C)	(D)
84	(A)	(B)	(C)	(D)
85	(A)	(B)	(C)	(D)
86	(A)	(B)	(C)	(D)
87	(A)	(B)	(C)	(D)
88	(A)	(B)	(C)	(D)
89	(A)	(B)	(C)	(D)
90	(A)	(B)	(C)	(D)
91	(A)	(B)	(C)	(D)
92	(A)	(B)	(C)	(D)
93	(A)	(B)	(C)	(D)
94	(A)	(B)	(C)	(D)
95	(A)	(B)	(C)	(D)
96	(A)	(B)	(C)	(D)
97	(A)	(B)	(C)	(D)
98	(A)	(B)	(C)	(D)
99	(A)	(B)	(C)	(D)
100	(A)	(B)	(C)	(D)

विद्यार्थी इस पृष्ठ को अलग करके अपने पास सुरक्षित रखें।

विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु निम्न प्रक्रिया नियत है।
- (अ) प्रारम्भिक परीक्षा (दिनांक: 18 दिसम्बर, 2022 को)। प्रारम्भिक परीक्षा अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रदर्शित होंगे और इसमें से किसी एक सही का चयन कर उत्तर पत्रक (OMR Sheet) में सही गोले का चयन कर उसको 'काला' करके उत्तर देना है।
- (ब) प्रारम्भिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका (OMR Sheet) को कम्प्यूटर मशीन द्वारा मूल्यांकन के उपरान्त सर्वोच्च अंक प्राप्त मेधावी विद्यार्थियों (बालक एवं बालिकायें पृथक—2) के मध्य मुख्य परीक्षा 'ऑन—लाइन' / लिखित परीक्षा की सूचना प्रथक से की जाती है। प्रारम्भिक परीक्षा के इंटरनेट पर घोषित परिणाम के अतिरिक्त सफल परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा (माह फरवरी 2023) हेतु सूचना पत्र भी प्रथक से डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है अतः सफल विद्यार्थी ग्राम के डाकघर एवं पोस्ट मैन से सम्पर्क में रहें।
- (स) मुख्य परीक्षा विद्याज्ञान परीक्षा केंद्र पर कम्प्यूटर/लिखित रूप के माध्यम से 'आनलाईन' होगी। परीक्षा प्रक्रिया अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे और परीक्षार्थी को उनमें से एक का सही चयन कर 'कम्प्यूटर माउस' की सहायता से उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा कक्ष में उपलब्ध कराइ गयी उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित विषयों में से एक पर सूक्ष्म निबन्ध लिखना होता है।
- (द) मुख्य परीक्षा के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों जिनमें कम से कम 40% बालिकायें होंगी, के भौतिक सत्यापन में सफल होने के उपरान्त ही विद्यालय प्रांगण में पारस्परिक संवाद, विद्याज्ञान चिकित्सा बोर्ड द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा समस्त आवश्यक अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्राप्त होता है।
2. राजस्व विभाग द्वारा विद्यार्थी के अभिभावक का निर्गत ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, आवेदक की जन्म तिथि सम्बन्धी राजकीय प्रमाण पत्र, आवेदक विद्यार्थी के आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति कराकर तथा उन पर आवेदन पत्र का क्रमांक तथा दूरभाष नम्बर लिखकर संलग्न करें अन्यथा आवेदन अस्वीकार हो जायेगा।
3. आवेदक विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न परीक्षा "प्रवेश—पत्र" पर अपना नाम व पता (केन्द्र के नाम को छोड़कर) समस्त विवरण भर कर आवेदन के क्रमांक 17 की घोषणा पर हस्ताक्षर करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा। चिन्हित स्थानों (आवेदन—पत्र तथा प्रवेश—पत्र) पर अधिकतम 3 माह पुराना फोटो पर मुद्रित दिनांक सहित चर्चा करना अनिवार्य है जिससे उसके आवेदन—पत्र तथा परीक्षा प्रवेश पत्र से, परीक्षा केंद्र प्रांगण तथा परीक्षा कक्ष में पहचान हो सके। आवेदक विद्यार्थी का फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड नम्बर तथा उसकी छायाप्रति संलग्न करें। परीक्षा केन्द्र में कोरोना के नियमों (मास्क पहनना, दो गज की दूरी आदि) का पालन आवश्यक है। विद्यार्थी की पहचान हेतु आवेदन पत्र की छायाप्रति, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति साथ में लाना है। निजी विद्यालय के मान्यता / पंजीकरण संख्या विवरण दिया जाना आवश्यक है।
4. प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन—पत्र को भरने के पश्चात् मूल प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विलम्बतम 08 नवम्बर, 2022 तक जमा करना अनिवार्य है। आवेदन—पत्र की छायाप्रति कराकर तथा इस पृष्ठ को पृथक कर अपने पास सुरक्षित रख लें।
5. यदि विद्यार्थी को प्रारम्भिक परीक्षा से 15 दिन पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो खण्ड शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर ज्ञात कर लें।
6. किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए विद्याज्ञान की हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1800—102—1784 / 91—5862350101 / 9634098003 से सम्पर्क करें।
7. विद्याज्ञान के मेधावी विद्यार्थी के चयन के विवाद संबंधी स्थिति में विद्याज्ञान का निर्णय अंतिम होगा।
8. विद्याज्ञान स्कूल प्रवेश प्रक्रिया संबंधी विवरण विद्याज्ञान स्कूल की वेबसाइट www.vidyagyan.in/admissions से भी ज्ञात किया जा सकता है।

विद्याज्ञान

ए—9, सैकटर—03, नौएडा—201301

जनपद—गौतम बुद्ध नगर, (उ0प्र0)

*विद्याज्ञान वेबसाइट: www.vidyagyan.in/admissions

(एस0 के0 माहेश्वरी)

परियोजना निदेशक एवं मुख्य प्रवेश अधिकारी
विद्याज्ञान स्कूल

मॉडल प्रश्न पत्र

प्रश्न पत्र में भाषा (हिन्दी), गणित, अभिरुचि (Aptitude) ज्ञान के सम्बन्धित प्रश्न उ0प्र0 में प्रचलित कक्षा 5 तक के पाठ्यक्रम के स्तर के होंगे।

1. 'स्वतंत्र' शब्द का विलोम शब्द है –

(A) गणतंत्र	(B) प्रजातंत्र	(C) स्वाधीन	(D) परतंत्र
-------------	----------------	-------------	-------------
2. वीर शब्द का भाव वाचक है –

(A) वीरांगना	(B) वीरता	(C) साहस	(D) इनमें से कोई नहीं
--------------	-----------	----------	-----------------------
3. 4, 6, 10, 18 ----- के क्रम में अगली संख्या होगी –

(A) 24	(B) 30	(C) 28	(D) 34
--------	--------	--------	--------
4. रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है। अमन, राहुल से 4 वर्ष छोटा है। राहुल, रमन से कितना बड़ा है ?

(A) 1 वर्ष	(B) 2 वर्ष	(C) 3 वर्ष	(D) 4 वर्ष
------------	------------	------------	------------
5. दिये गये चित्र में कितने त्रिकोण हैं –

(A) 8	(B) 10	(C) 12	(D) 14
-------	--------	--------	--------


6. कौन सा नम्बर प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा ?

(A) 16	(B) 20	(C) 10	(D) 24
--------	--------	--------	--------

⑨	25
4	36
1	81
64	49
7. त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है –

(A) 180°	(B) 360°	(C) 90°	(D) 270°
-----------------	-----------------	----------------	-----------------
8. निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमण्डलीय तापन के लिए उत्तरदायी है ?

(A) ऑक्सीजन	(B) नाइट्रोजन	(C) कार्बनडाई ऑक्साइड	(D) हाईड्रोजन
-------------	---------------	-----------------------	---------------

ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक
में उत्तर इस प्रकार
अंकित करें।

प्र. सं. Q.No.	उत्तर Answer
1	Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
2	Ⓐ ● Ⓑ Ⓒ
3	Ⓐ Ⓑ Ⓒ ● Ⓓ
4	Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
5	Ⓐ Ⓑ Ⓒ ●
6	● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
7	Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ
8	● Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9	Ⓐ ● Ⓑ Ⓓ
10	Ⓐ Ⓑ ● Ⓓ

**विद्याज्ञान स्कूल शैक्षिक वर्ष 2023–24 में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 को आयोजित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा
के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय तथा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु मार्गदर्शिका**

1. शासनादेश सं0 1830 / 79–5–2013–1030 / 2010 दिनांक 30.05.2013 (छायाप्रति संलग्न) तथा विस्तारित प्रक्रिया अन्तर्गत विद्याज्ञान स्कूल में शैक्षिक वर्ष 2023–24 हेतु नियत प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समस्त राजकीय तथा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (निजी विद्यालय/मान्यता/पंजीकरण संख्या का विवरण सहित) से कक्षा 3, 4 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। (एस0आर0 क्रमांक संबंधी विवरण अनिवार्य है) प्रत्येक विद्यार्थी को लिखित परीक्षा हेतु केवल एक ही अवसर अनुमत्य होता है। प्रथम वार आवेदन कर रहे समस्त पात्र विद्यार्थियों को यह अवसर प्राप्त होगा कि विद्याज्ञान में प्रवेश हेतु दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 को आयोजित होने वाली प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे।
2. यदि आवेदन—पत्र कम पड़ जाते हैं अथवा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उपलब्ध रिक्त आवेदन—पत्र की प्रति (छात्र हेतु बालक तथा छात्राओं हेतु बालिका प्रथक—प्रथक) से फोटो स्टेट कराकर अथवा इन्टरनेट से www.vidyagyan.in/admissions से डाउनलोड कर अथवा उसकी छायाप्रति पर भी आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जाकर आवेदन किया जा सकता है। छायाप्रति आवेदन—पत्र एवं छायाप्रति प्रवेश पत्र पर मूल नम्बर के पश्चात् विकास खण्ड का नाम अंकित कर नया क्रमांक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
3. आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी हों, जिसकी पुष्टि स्थायी निवास प्रमाण पत्र से होती हो। आवेदक विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय (भाता एवं पिता दोनों की आय सम्मिलित करते हुए) एक लाख रुपये से अधिक न हो (राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)। राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय तथा ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र के अभाव में प्रारम्भिक लिखित परीक्षा हेतु आवेदन मान्य नहीं है।
4. कक्षा 6 हेतु आवेदक विद्यार्थी की दिनांक 31 मार्च, 2023 को आयु : बालकों हेतु आयु : न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 11 वर्ष तथा बालिकाओं हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष से अधिक न हो। (बालक आवेदक जिनका जन्म 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2012 तथा बालिकाओं हेतु 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2011 के मध्य हुआ हो, ही आवेदन हेतु पात्र हैं) आवेदक विद्यार्थी का फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड नम्बर का विवरण तथा कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र सम्बन्धी समस्त विवरणों का 'डिजिटीकरण' किया जाता है।
5. नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद सीमा अन्तर्गत स्थित किसी भी प्रकार के विद्यालय के विद्यार्थी प्रारम्भिक लिखित परीक्षा तथा तदुपरान्त विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।
6. कृपया इंटरनेट से डाउनलोड/मूल आवेदन पत्र अथवा छायाप्रति आवेदन को अग्रसारित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आवेदन—पत्र पूर्ण एवं त्रुटिरहित है। किसी भी दशा में अपात्र विद्यार्थी का आवेदन अग्रसारित नहीं करें। आवेदन पत्र को विद्यालय की प्रेषण पंजिका में दर्ज करने के उपरान्त ही खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करें। आवेदन—पत्र के साथ आवेदक की पहचान हेतु फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र स्थायी निवास तथा आय प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न कर (प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदन पत्र की संख्या तथा दूरभाष संख्या लिखकर) खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 08 नवम्बर 2022 तक अवश्य जमा करा दें। आवेदन की एक प्रति विद्यालय तथा एक प्रति विद्यार्थी के उपयोगार्थ सुरक्षित रख लें।
7. आवेदक विद्यार्थियों के मध्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न मॉडल उत्तर पत्रक (OMR Sheet) एवं प्रश्नावली (यह नमूना ही है और परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली प्रश्नावली एवं उत्तर पुस्तिका से भिन्न हो सकती है) पर अभ्यास कराने का कष्ट करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अत्यन्त युवा विद्यार्थी नई परीक्षा प्रणाली से परिचित हो जायें। उ.प्र. में कक्षा 3, 4 तथा 5 के पाठ्यक्रम — भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी), गणित, अभिरुचि (Aptitude) तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है। प्रारम्भिक परीक्षा के मूल्यांकन तथा इन्टरनेट पर घोषित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा में भाग लेने हेतु डाक द्वारा सूचना पत्र प्रथक से प्रेषित किया जाता है। अतः ग्राम के पोस्ट ऑफिस एवं पोस्ट मैन से सम्पर्क में रहें। मुख्य परीक्षा के उपरान्त, सम्पूर्ण राज्य के न्यूनतम अंकों के सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन में सफल होने के उपरान्त विद्याज्ञान प्रांगण में पारस्परिक संवाद, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण तथा अकादमिक अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् विद्याज्ञान स्कूल में कक्षा 6 स्तर पर प्रवेश प्राप्त होता है।
8. आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन पत्र पर नियत स्थान में विद्यालय का 10 अंकों के U-DISE नम्बर अवश्य अंकित करें।
9. आपके विद्यालय के आवेदक विद्यार्थियों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों को भलीभाँति यह जानकारी कराने का कष्ट करें कि खण्ड शिक्षा अधिकारी से ज्ञात कर लें कि प्रारम्भिक लिखित परीक्षा केन्द्र कहाँ है। इसके साथ ही आवेदक विद्यार्थियों को परीक्षा में भाग लेने हेतु प्रेरित करने का कष्ट करें। विद्यार्थियों को इस नवीन परीक्षा प्रणाली का अभ्यास एवं अनुभव उपलब्ध कराने के साथ—साथ आपको प्रतिभा तलाश एवं तराश कर प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक चयन में भागीदार होने का गौरव प्राप्त होगा।

मुख्य
(एस0 के0 माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल

शासनादेश सं0 – 1830 / 79–5–2013–1030 / 2010 दिनांक 30.05.2013 की प्रति

प्रेषक, सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, 1. निदेशक, बैसिक / माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

2. परियोजना निदेशक, एस0एस0एन0 विद्याज्ञान ट्रस्ट, ए–5, सैकटर–24, नौएडा, जनपद—गौतम बुद्ध नगर।

शिक्षा अनुभाग—5

पिषय: एस0एस0एन0 विद्याज्ञान स्कूल एवं छात्रवृत्ति योजना के संबंध में।

लखनऊ : दिनांक: 30 मई, 2013

महोदय,

उपर्युक्त पिषयक श्री एस0 के माहेश्वरी, परियोजना निदेशक, विद्याज्ञान स्कूल के पत्रांक — विद्याज्ञान / 94 / 2013–14, दिनांक 21–01–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश के संबंध में शासनादेश संख्या — 312 / 15–11–08 दिनांक 20–02–2008 एवं संशोधित शासनादेश संख्या — 545 / 15–11–08 दिनांक 03–04–2008 में तथा समझौता — ज्ञापन दिनांक 10–03–2008 में संशोधन एवं नये निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में पूर्व में निर्गत उपरोक्त शासनादेशों क्रमशः दिनांक 20–02–2008 एवं 03–04–2008 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिव नाडर फारंडेशन / ट्रस्ट एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा एस0एस0एन0 विद्याज्ञान स्कूल एवं छात्रवृत्ति योजना सम्मिलित रूप से अब निम्नलिखित व्यवस्थाओं एवं शर्तों के अधीन संचालित की जायेगी:-

ट्रस्ट के दायित्व

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों (जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है) के मेधावी विद्यार्थियों (न्यूनतम 1 / 3 बालिकाएँ) को विश्वस्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु उच्च गुणवत्ता के अकादमिक केन्द्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित करेंगे। ऐसे शिक्षण केन्द्रों का समस्त वित्त पोषण, प्रबंधन तथा संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की उच्च एवं उत्कृष्ट आवासीय स्कूल शिक्षा नितान्त निःशुल्क प्रदान करेगा।
- (3) चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 तक की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ—2 व्यवसायिक पाठ्य की प्रवेश परीक्षा हेतु तैयारी करायी जायेगी।
- (4) नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भाँति, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण एवं अवसर प्रदान करेगी तथा साथ—ही—साथ उच्च शैक्षिक पथ हेतु सर्वोत्तम सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी।
- (5) शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि, भवन निर्माण, मानव संसाधन एवं संचालन पर होने वाले क्रमिक व्यय को ट्रस्ट अपने संसाधनों से वहन करेंगे। राज्य सरकार ऐसे अकादमिक केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।
- (6) विद्याज्ञान स्कूल में दो स्तरों पर लिखित परीक्षाओं के माध्यम से उपयुक्त एवं सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन ट्रस्ट सुनिश्चित करेगी। लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-
- (क) चयनित जनपदों में, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जिला स्तर पर संचालित की जायेगी और इसे प्राथमिक परीक्षा के नाम से जाना जायेगा और ट्रस्ट के प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षा संचालित की जायेगी। प्राथमिक परीक्षा का प्रबंध जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागों की सहायता से सम्पन्न करायी जायेगी।
- (ख) अग्रिम स्तर की परीक्षा को अंतिम परीक्षा के नाम से जाना जायेगा। अंतिम परीक्षा संबंधित विद्याज्ञान स्कूल द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें प्राथमिक परीक्षा के न्यूनतम अंकों के सफल विद्यार्थियों (बालक एवं बालिकाओं) को उपयुक्त अनुपात में संबंधित विद्याज्ञान स्कूल के परीक्षा केन्द्र में अंतिम परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस अंतिम परीक्षा के न्यूनतम आवश्यक अंकों के परिणाम के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को संबंधित विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- (ग) भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि आवश्यक हो और पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु, ट्रस्ट कार्यान्वयन एवं प्रवेश प्रक्रिया को संशोधित कर सकें, जिससे सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन सम्भव हो सके। अग्रेतर समय—2 पर, ट्रस्ट राज्य स्तरीय एवं केन्द्र सरकार की एजेंसीज़ / विभागों अथवा उनकी योजनाओं / प्रक्रियाओं की पात्र विद्यार्थियों के चयन में सहायता ले सकेंगे।
- (घ) उपरोक्त प्रक्रियाओं के रहते हुए भी, विद्याज्ञान स्कूल में विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

राज्य सरकार के दायित्व:

- (1) राज्य सरकार, शिक्षा प्रशासन एवं जिला प्रशासन को ऐसे समुचित निर्देश प्रसारित करेगी जिससे औपचारिक अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों से सर्वोच्च अंक प्राप्त एक बालिका एवं एक बालक का अभिज्ञान जिला स्तर की प्राथमिक परीक्षा हेतु हो सके। संबंधित विभागों को, अभिज्ञान विद्यार्थियों को प्राथमिक लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र निर्गत करने तथा जिला मुख्यालय पर लिखित परीक्षा की व्यवस्था हेतु भवन, प्रांगण एवं परीक्षा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।
- (2) समझौता—ज्ञापन के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे निर्देश प्रसारित करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अन्य स्थानीय विभागों द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में पात्र विद्यार्थी का चयन एवं प्रवेश में ट्रस्ट को सहयोग प्राप्त हो सके और विद्याज्ञान स्कूल में निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय—2 पर प्रशासनिक सहायता एवं सहयोग हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।

उभय पक्ष के दायित्व:

- (1) उपरोक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु समस्त व्यय भार ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य सरकार, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, विद्याज्ञान स्कूल में मेधावी विद्यार्थियों के निष्पक्ष चयन एवं प्रवेश हेतु सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी।
- (2) इस समझौता—ज्ञापन में वर्णित उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस प्रकार से कार्यवाही करेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों (न्यूनतम 1 / 3 बालिकाओं) का निष्पक्ष रूप से चयन बिना किसी कठिनाई के सम्भव हो सकें।
- (3) उपर्युक्त प्रस्तर—2 (6) (क) के संबंध में जनपद का चयन ट्रस्ट एवं राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तर्फ़े

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, न्याय अनुभाग—1
- प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1
- परियोजना निवेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- निवेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- उ0प्र0 सचिवालय, शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
- गार्ड बुक।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव